न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
इजलास - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

प्रार्थना पत्र सं० - 03/2019

1- कमलेश पुत्र गणपत लाल
2- मुकेश पुत्र गणपत लाल
3- रामकुंवार पुत्र भैरूलाल
4- सुरेन्द्र पुत्र लादू

समस्त जाति अहीर निवासी चारणवास उर्फ काली पहाड़ी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)

....प्रार्थीगण

बनाम

1- राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)
2- मैसर्स एस. आर. एग्रीकल्चर फार्मस लि० जरिये डाईरेक्टर आनन्द कुमार डालमिया पुत्र काशुराम डालमिया पंजीकृत कार्यालय ए-17 ए, रोड नम्बर-1 डी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जिला जयपुर बहैसियत मुख्त्यारआम श्रीमती सुरेखा जैन धर्मपत्नि राजेन्द्र जैन निवासी रोहिणी दिल्ली।
3- तुलसीराम बलाई पुत्र दल्लाराम बलाई ग्राम कूकस तहसील - [redacted] आमेर जिला जयपुर (राज०)

....अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत नक्शा रिकॉर्ड
दुरुस्तीकरण अन्तर्गत धारा
131, 132, 136 एल० आर० एक्ट

(1) प्रार्थी अधिवक्ता - श्री महेश शर्मा
(2) अप्रार्थी अधिवक्ता - श्री सत्यनारायण माहेश्वरी व पैरोकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(2)

<u>निर्णय</u> दिनांक 3/5/2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल० आर० एक्ट के तहत नक्शा दुरस्ती का पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम चतरणवास उर्फ कालीपहाड़ी पटवार हल्का रामपुरवासताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में कृषि भूमि जिसके साबिक ख०नं० 102 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा भूमि के हाल नवीन ख०नं० 215 रकबा 4.7100 हैक्टेयर अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि है। जिसके हाल सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकारों के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण नवीन नक्शा तरमीम कर दिया।

वादग्रस्त भूमि में से 2 बिस्वा भूमि जिसकी नाप उत्तर-दक्षिण 15 फिट और पूर्व-पश्चिम 201 फिट अनुसार क्षेत्रफल 335 वर्ग गज को मय सीमांकन दर्शीत सहित भूमि का विक्रय दिनांक 12/7/2005 को प्रार्थीगण द्वारा विक्रय करने पर ख०नं० 102/1 रकबा 2 बिस्वा अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। जिसके अनुसार क्रेतागण मुलतीराम पुत्र दल्लाराम जाति बलाई एवं आनन्द कुमार हालिया पुत्र कालूराम महाजन राजहित में गैर मुमकिन रास्ते प्रयोजनार्थ तहसीलदार जमवारामगढ़ को समर्पण कर दिया जिसके मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा विक्रय भूमि राज्य सरकार के हित में गै० मु० रास्ता ख०नं० 102/1 रकबा 2 बिस्वा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई।

वादग्रस्त भूमि को दौरान सेटलमेन्ट की कार्यवाही में पूर्व दिशा की सीमा को साबिक नक्शे के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण व भिन्न तरमीम कर दिया। जो प्रार्थीगण के ख०नं०

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

के नये ख०नं० 215 के राजस्व नक्शे में से कम करते हुए हाल नवीन ख०नं० 215/415 के राजस्व नक्शे में शामिल कर तरमीम कर दिया गया। साबिक ख०नं० 102, 1021 के राजस्व नक्शे की मध्य सीमा अनुसार ही हाल ख०नं० 215 व 215/415 के राजस्व नक्शे की मध्य सीमा को तरमीम करना चाहिये था। इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद सं० 1 लगायत 10 में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अनुरोध चाहा कि बाधग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे साबिक ख०नं० 102 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा के राजस्व नक्शे की पूर्वी सीमा रेखा के मुताबिक ख०नं० 215 रकबा 4.7100 हेक्टेयर के राजस्व नक्शे की पूर्वी सीमा रेखा को पुनः तरमीम करने के आदेश दिये जावे एवं तदानुसार हाल नवीन ख०नं० 215 व 215/415 के मध्य सीमाज्ञान रेखा को राजस्व नक्शे में दुरुस्तीकरण करते हुए ख०नं० 215/415 के नक्शे की चौड़ाई 15 फिट अनुसार व प्रार्थीगण के साबिक नक्शे अनुसार एवं रकबा मूलानुसार हाल राजस्व नक्शे की पूर्वी सीमा रेखा कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी को जारी की गई। दिनांक 28/2/19 को अधिवक्ता श्री सत्यनारायण माहेश्वरी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी मय शपथ, वकालतनामा के साथ पेश किया। जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलाई गई। दिनांक 27/3/19 को प्रा०पत्र O1R10 सी०पी०सी० का जवाब प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्तियां सहित पेश किया। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

अपने पत्रांक 70 दिनांक 15/3/17 को दिनांक 18/3/17 को अपना जवाब पेश किया। जिसमें अंकित किया ग्राम चारणवास उर्फ कालीपहाड़ी पटवार हल्का राजपुरवासताला में साबिक ख०नं० 102 रकबा 24.14 बीघा जिसके हाल ख०नं० 215 रकबा 4.71 हैक्ट० किस्म चाही 2, ख०नं० 214 रकबा 0.01 किस्म गैरमु० चाह, ख०नं० 215/398 रकबा 0.4200 किस्म गैरमु० सड़क, ख०नं० 215/399 रकबा 1.10 किस्म चाह 3 कुल किता 4 रकबा 6.24 हे० जमाबन्दी अनुसार कमलेश पिता गणपतलाल वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका रकबा 24.14 बीघा है। वर्तमान नक्शे में ख०नं० 215/415 रकबा 0.03 गैरमु० रास्ता की चौड़ाई 6 मीटर अर्थात 19 फिट चौड़ी तरमीम है।

साबिक ख०नं० 102 रकबा 24.16 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा भूमि जिसकी नाप उत्तर-दक्षिण में 15 फुट चौड़ी एवं पूर्व-पश्चिम में 201 फीट लम्बाई अनुसार क्षेत्रफल 335 वर्गगज भूमि का विक्रय दिनांक 12/7/15 को करते हुए किए जाने पर भूमि को राजस्व रिकार्ड में तुलसीराम पुत्र दलला एवं आनन्द कुमार डालमिया पुत्र कालूराम डालमिया द्वारा राजहित में गैरमु० रास्ता समर्पण कर दिया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा विक्रय भूमि राजस्व रिकार्ड में 102/1 रकबा 0.02 गैरमु० रास्ता दर्ज हो गयी जो कि हाल ख०नं० 215/415 रकबा 0.03 हे० किस्म गैरमु० रास्ता दर्ज रिकार्ड है जबकि हाल नक्शा मौका में लगभग 1 मीटर अर्थात 4 फीट का रास्ता है।

साबिक ख०नं० 102 रकबा व 102/1 में हाल ख०नं० 215 व 215/415 की सीमाज्ञान हाल नक्शे में लगभग 4 फुट चौड़ाई का रास्ता है। प्रार्थी के कथन की जांच नक्शे की दुरस्ती के पश्चात् ही पैमाईश नये सिरे से किया जाना सम्भव है।

साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे में विशेष विवरण अनुसार तरमीम की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। तथा प्रस्तावित तरमीम नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

विवादित भूमि की मौके की नाप प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती के बाद किया जाना सम्भव होगा। क्योंकि मौके पर फसल कटाई चल रही है। हाल ख०नं० 215/415 किस्म गै०मु० रास्ता पर अतिक्रमण पाया गया जिसके बेदखली के आदेश नायब तहसीलदार द्वारा मु०नं० 58/18 दिनांक 21.12.18 को किया गया। उक्त आदेश से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराने के लिये स्वतन्त्र है। ख०नं० 215/415 किस्म गै०मु० रास्ता की तरमीम दुरुस्ती प्रस्तावित नक्शे अनुसार किया जाना उचित बताया। एवं हाल ख०नं० 215 व ख०नं० 215/415 के मध्य सीमाज्ञान साबिक नक्शे प्रस्तावित नक्शे अनुसार चौड़ाई 15 फीट साबिक नक्शे अनुसार किया जाना उचित बताया।

दिनांक 1/4/19 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गणों की बहस प्रा०पत्र 01 नि० CPC पर सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC को स्वीकार किया गया तथा संशोधित अदावा पेश करने हेतु निर्देश दिये गये संशोधित अदावा पेश किया जो शामिल फाइल किया गया।

वकील उभय पक्षों के अधिवक्ता गणों की बहस प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131,132,136 LR Act पर सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद सं० 1 लगायत 10 मे अंकित तथ्यों को दोहराते बहस में कथन किया वादग्रस्त आराजी के साबिक नक्शे पूर्वी सीमा रेखा के मुताबिक ख०नं० 215 रकबा 4.7100 हैक्ट० के साबिक नक्शे की पूर्वी रेखा को पुनः तरमीम करने के आदेश दिया जावे, तथा साबिक नक्शे अनुसार विवादित भूमि की दुरुस्ती की जावे, साथ

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

तदानुसार हाल नवीन ख०न० 215 व ख०न० 215/415 के मध्य सीवजोड़ रेखा के राजस्व नक्शे दुरस्तीकरण करते हुये ख०न० 215/415 के नक्शे की चौड़ाई 15 फीट अनुसार व प्रार्थीगण के साबिक नक्शे अनुसार एवं रकबा पूर्वानुसार हाल राजस्व नक्शे की पूर्वी सीमा रेखा कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं० 1 को अपनी बहस में कथन किया कि मुताबिक हवाव के अनुसार दुरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अप्रार्थी सं० 2 व 3 ने अपनी बहस में कहा कि विवादित खसरा नक्शों को साबिक नक्शे के अनुसार दुरस्त कर दिया जावे तथा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तुरन्त हटाया जाने के आदेश भी तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत हवाव का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल०आर० एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त वाले ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाड़ी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के साबिक ख०न० 102 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा के राजस्व नक्शे की पूर्वी सीमा रेखा के मुताबिक ख०न० 215 रकबा 9.7100 हेक्टेयर के राजस्व नक्शे की पूर्वी सीमा रेखा को

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

पुनः तरमीम करने के आदेश दिये जाते है एवं तदानुसार हाल नवीन ख०न० 215 व 213/415 के मध्य सीवाखोड़ रेखा को राजस्व नक्शे में ख०न० 213/415 के नक्शे की चौडाई 15 फीट, तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शे अनुसार, साबिक नक्शे अनुसार, रकबा मुर्दानुसार दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है। साथ ही रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Cup
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:27:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: